

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक 23/9/2026

विषय : संविदा पर नियोजित ग्राम कचहरी सचिव/ग्राम कचहरी न्यायमित्र की सेवाकाल में मृत्यु होने के फलस्वरूप उनके आश्रित को ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

02. जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक 4103 दिनांक 29.08.26 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, सारण के आदेश-पत्रक संख्या-01/26-27 में स्व० सुधान्ती कुमारी, ग्राम कचहरी सचिव, प्रखंड-जलालपुर, ग्राम कचहरी-भटकेशरी, जिला-सारण की दिनांक-10.09.25 को सेवा अवधि के दौरान हुई मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रित श्री अभय कुमार तिवारी (पति) को ₹4,00,000.00 (चार लाख रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति प्राप्त है। तथा उक्त राशि हेतु आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध भी विभाग से किया गया है

03. उक्त के आलोक में पंचायती राज विभाग, बिहार के आदेश संख्या-216/पं०रा०, सहपठित ज्ञापक-7243 दिनांक-11.11.2019 एवं जिला पदाधिकारी, से प्राप्त उक्त अनुशंसा/स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में निम्नरूपेण अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०सं०	मृत कर्मी का नाम एवं पता	पदनाम	स्वीकृत राशि
1	स्व० सुधान्ती कुमारी, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम कचहरी सचिव, प्रखंड-जलालपुर, ग्राम कचहरी-भटकेशरी, जिला-सारण	ग्राम कचहरी सचिव	₹4,00,000.00 (चार लाख रुपया)

04. इस स्वीकृत राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय "मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु-शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0010-ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु के विषय शीर्ष-0010.37.01-अनुग्रह अनुदान" से होगा। जिसकी मांग सं०-16 एवं विपत्र कोड-16-2515001980010 है।

05. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, सारण होंगे, जो राशि की निकासी जिला कोषागार, सारण से कर मृतक के आश्रित के खाते में जाचोंपरान्त CFMS के माध्यम से अंतरित करेंगे।

साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक को पूर्व में किसी अन्य कोष (यथा NDRF, SDRF अथवा समरूप किसी आपदा कोष) से अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया हो।

06. स्वीकृत राशि की निकासी जिला कोषागार, सारण से वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार कोषागार संहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

07. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

08. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०/17-03/2026 में पृष्ठ संख्या-~~25~~.../टि० पर दिनांक-~~17/09/26~~ को प्राप्त है।

09. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्योदश प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०/17-03/2026 के पृष्ठ-~~26~~.../टि० पर दिनांक-~~18/09/26~~ को प्राप्त है।

10. इस स्वीकृत राशि का निमयानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

11. राशि की स्वीकृति यह मानकर दी जा रही है कि जिला पदाधिकारी, सारण के द्वारा संबंधित कर्मियों की मृत्यु एवं उनके सभी अभिलेखों की पूर्ण जाँच अपने स्तर से करा ली गयी है।

12. स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के द्वारा हस्ताक्षरित है।

विश्वामाजीन

(नजर हुसैन) 23/9/26

विशेष सचिव

ज्ञापांक: 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०/17-03/2026/...../प०रा० पटना, दिनांक 23/9/26

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, सारण/कोषागार पदाधिकारी, सारण/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 23/9/26

विशेष सचिव

ज्ञापांक: 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०/17-03/2026/...../पं०रा० पटना, दिनांक 23/9/26
प्रतिलिपि:—प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन) 22/9/26

ज्ञापांक: 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०/17-03/2026/...../पं०रा० पटना, दिनांक 23/9/26
प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-5(बजट)/आई0टी0 मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन) 22/9/26

ज्ञापांक: 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०/17-03/2026/...../पं०रा० पटना, दिनांक 23/9/26
प्रतिलिपि:— आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन) 22/9/26
विशेष सचिव

